**न्यायालय, (विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर–03, बिजनौर।**

**पीठासीन अधिकारीः– प्रशान्त मित्तल, उच्चतर न्यायिक सेवा – UP6174**

**सेसन्स वाद संख्याः– 484/2022**

**सरकार बनाम नौशाद**

मुकदमा अपराध संख्याः–141/2022
धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम।
थानाः–नगीना, जिला बिजनौर।

**आरोप**

मैं प्रशान्त मित्तल, (विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03, बिजनौर, आप अभियुक्त **नौशाद** को निम्नवत आरोपित करता हूं:

**प्रथमः–** यह कि दिनांक 02–05–2022 को समय करीब 21:35 बजे वहद कालाखेडी फाटक के पास नगीना, कस्बा व थाना नगीना, जिला बिजनौर की पुलिस द्वारा पकडे गये और आपकी जामा तलाशी पर आपके पास से 510 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई, जिसे रखने का आपके पास कोई लाईसेंस नहीं था। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा **8/20** के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(प्रशान्त मित्तल)
(विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर–03,
बिजनौर।

दिनांकः–28–03–2025

उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और विचारण का दावा किया।

(प्रशान्त मित्तल)
(विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर–03,
बिजनौर।

दिनांकः–28–03–2025

**न्यायालय, (विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर–03, बिजनौर।**

**सेसन्स वाद संख्याः– 484/2022**

**सरकार बनाम नौशाद**

मुकदमा अपराध संख्याः–141/2022
धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम।
थानाः–नगीना, जिला बिजनौर।

**28–03–2025**

पत्रावली पेश हुई।

अभियुक्त **नौशाद** उपस्थित आया। अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन0डी0पी0एस0 एक्ट) उपस्थित आये।

अभियोजन ने अपने कथनों के समर्थन मे पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का सन्दर्भ दिया।

अभियुक्त **नौशाद** के विरूद्ध आरोप विरचन के बिन्दु पर सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त नौशाद के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

तद्नुसार अभियुक्त **नौशाद** के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा **8/20 एन0 डी0 पी0 एस0 अधिनियम** का विरचित किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 17–04–2025 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण को जरिये समन आहूत किया जाए।

(प्रशान्त मित्तल)
(विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर–03,
बिजनौर।

दिनांकः–28–03–2025

Digitally signed by PRASHANT MITTAL
Date: 2025.03.28 16:55:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court